राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(1)नविवि/II/2023 जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी **स्वीकृति दिनांक 05.10.2023 को अतिक्रमित करते हुए, मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 58/2025 दिनांक 15.07.2025 के अनुसरण में, राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (The Rajasthan International Centre, Jaipur) के प्रबंधन हेतु नवीन व्यवस्थानुसार आर.आई.सी. संस्था में कार्यकारी समिति (Executive Committee) एवं गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन किये जाने** की स्वीकृति निम्नाकिंत शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. आर. आई. सी. के प्रबन्धन हेतु स्वायत्तशाषी संस्था जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबन्धन संस्था, जयपुर का गठन करने के बजाय ''राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर सोसायटी'' के माध्यम से ही इस सेन्टर का प्रबन्धन किया जावे।
2. राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर सोसायटी एक पूर्णतः स्वायत्तशासी संस्था होगी। इसके द्वारा लिया गया कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नहीं माना जायेगा।
3. राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर सोसायटी के कार्य संचालन हेतु सोसायटी के गवर्निंग बोर्ड एवं कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा, जो कि निम्नानुसार होंगेः–

   I. <u>दी राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (RIC) सोसायटी का गवर्निंग बोर्ड :–</u> आर.आई.सी. सोसायटी का गवर्निंग बोर्ड 15 सदस्यीय होगा, जिसमें

   i. **06 सरकारी सदस्य शामिल होंगेः–**

   - मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
   - अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नविवि – उपाध्यक्ष
   - शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग – सदस्य
   - आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर – सदस्य
   - जिला कलक्टर, जयपुर – सदस्य
   - आयुक्त, नगर निगम (Greater), जयपुर – सदस्य

Signature valid
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.07.17 18:23:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16626489
eSign 1.0

ii. 06 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होंगेः–

- 01 सदस्य – कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से,
- 01 सदस्य – पर्यटन के क्षेत्र से,
- 01 सदस्य – विधि के क्षेत्र से,
- 01 सदस्य – चार्टेड अकांटेट,
- 01 सदस्य – उद्योग के क्षेत्र से
- 01 सदस्य – प्रशासनिक क्षेत्र से।

(उक्त 06 नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष होगा।)

iii. 02 सदस्य – राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (RIC) के सदस्यों में से निर्वाचित होंगे, (जिनका कार्यकाल 02 वर्ष होगा)।

iv. 01 सदस्य – निदेशक, राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो कि गवर्निंग बोर्ड का संयोजक भी होगा)।

गवर्निंग बोर्ड के कार्यः–

1) गवर्निंग बोर्ड, राजस्थान इन्टरनेशल सेन्टर, जयपुर के संचालन की समस्त गतिविधियों पर नियन्त्रण रखेगा तथा आर.आई.सी. संचालन हेतु नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा।
2) राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर सोसायटी के वार्षिक ऑडिट/लेखे–जोखे गवर्निंग बोर्ड के समक्ष रखे जाकर उससे स्वीकृत कराये जायेंगे।
3) गवर्निंग बोर्ड आवश्यक होने पर कार्यकारी समिति को दिशा–निर्देश/कार्य दे सकेगा।
4) गवर्निंग बोर्ड की बैठक प्रत्येक 06 माह में न्यूनतम 01 बार आयोजित की जायेगी, आवश्यकता होने पर अध्यक्ष स्वयं अथवा संयोजक के आग्रह पर अतिरिक्त बैठक बुला सकेंगें।

II. <u>दी राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (RIC) सोसायटी की कार्यकारी समिति (Executive Committee):–</u> कार्यकारी समिति में 05 सदस्य होंगे, जिसका गठन निम्नानुसार होगाः–

- 01 सदस्य (अध्यक्ष) – नामित 06 सदस्यों में से,
- 01 सदस्य – नामित 06 सदस्यों में से,
- 01 सदस्य – गवर्निंग बोर्ड के 02 निर्वाचित सदस्यों में से,
- 01 सदस्य (सदस्य सचिव) – निदेशक, राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर,

Signature valid
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.07.17 18:23:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16626489
eSign 1.0

- 01 सदस्य — सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।

उक्त कार्यकारी समिति के सदस्य गवर्निंग बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगे। नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

कार्यकारी समिति के कार्यः–

1) कार्यकारी समिति, आर.आई.सी. जयपुर में समस्त प्रकार के Procurement के लिए जिम्मेदार होगी। Procurement पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आर.आई.सी. हित में किया जायेगा।
2) आर.आई.सी. के संचालन हेतु Contratual Manpower एवं Contratual Service की Hiring कार्यकारी समिति द्वारा की जा सकेगी।
3) कार्यकारी समिति, आर.आई.सी. में उपलब्ध सुविधाओं यथा ऑडिटोरियम, सेमीनार हॉल, Banquet हॉल आदि को आमजन एवं विभिन्न संस्थाओं को किस दर पर उपलब्ध कराया जायेगा, का निर्धारण करेगी।
4) कार्यकारी समिति, आर.आई.सी. में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक, वैचारिक आदि कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु भी जिम्मेदार होगी।
5) कार्यकारी समिति, आर.आई.सी. में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं यथा रेस्टोरेन्ट, Cafeteria आदि को लघु अवधि/दीर्घ अवधि (अधिकतम 10 वर्ष) लीज पर दे सकेगी, परन्तु उसे विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
6) कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक 02 माह में न्यूनतम 01 बार आयोजित की जायेगी।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्मित कराये जाने वाले 44 कमरों के गैस्ट हाउस को पूर्ण कराने एवं संचालित करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुये आगामी कार्यवाही करेगा।

5. राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (RIC) को प्रतिवर्ष अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट (Audit Report) एवं Public Account (सार्वजनिक लेखा) प्रस्तुत करना होगा।

6. राज्य सरकार आर.आई.सी. को निर्देश प्रदान कर सकेगी, जो उसके लिए बाध्यकारी होगें।

7. जविप्रा, राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर की आर.आई.सी. सोसायटी को 10 वर्ष के लिए 1000रू/– वार्षिक की लीज पर उपलब्ध करायेगा। लीज अवधि राज्य सरकार की स्वीकृति से बढायी जा सकेगी।

8. राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (RIC) द्वारा नगरीय विकास विभाग एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाओं को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.07.17 18:23:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16626489
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कला एवं सस्कृति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जयपुर।
11. आयुक्त, नगर निगम (Greater), जयपुर।
12. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
15. सहा0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.:
16626489
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.07.17 18:23:48 IST
Reason: Approved